

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी:- श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी मु0स0 20/2013

अनवान :-

मोहनराम पुत्र स्व. श्री सरदाराराम जाति जाट निवासी ग्राम अक्कासर तहसील कोलायत
जिला बीकानेर

निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- ग्राम पंचायत अक्कासर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अक्कासर तहसील कोलायत
जिला बीकानेर
- 2- रामलाल पुत्र श्री सरदाराराम जाति जाट निवासी ग्राम अक्कासर तहसील कोलायत
जिला बीकानेर

गैर-निगरानीकर्ता

:: निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 ::

उपस्थिति:-

- 1- निगरानीकर्ता की ओर से - श्री आनन्द बजाज अधिवक्ता
- 2- गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 - श्री हनुमानसिंह अधिवक्ता
- 3- गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 - अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 31.12.2019

1. निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत अक्कासर तहसील कोलायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 रामलाल पुत्र सरदाराराम के पक्ष में जारी पट्टा (विक्रय विलेख) दिनांक 05.05.1989 तादादी 2901 वर्गफुट जारी किया गया। इस पट्टे से व्यथित होकर प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी पंचायत अधिनियम की धारा 27 ए व नियम 272 राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 व सपठित धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 व तत्संबंधी नियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री हनुमानसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं आये लिहाजा अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई। ग्राम पंचायत अक्कासर द्वारा पट्टे से संबंधित किसी भी प्रकार का रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया। तदन्तर मामले के गुणावगुण पर उभय पक्ष बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 आपस में सगे भाई है तथा ग्राम पंचायत अक्कासर के निवासी है। अप्रार्थी संख्या 2 रामलाल ने ग्राम पंचायत अक्कासर के तत्कालीन सरपंच देवप्रकाश पालीवाल से साजिस करके प्रार्थी की कब्जेशुदा व स्वामित्वशुदा भूमि पर बिना पंचायत नियमों की पालना किये



॥
भा. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

महज अपने नाम से पट्टा(विक्रय विलेख) निष्पादित करवाया है। प्रार्थी अपने कब्जेशुदा व मिल्कियतीशुदा भूमि पर वर्षों से बतौर मालिक काबिज चला आ रहा है जिसके चारों ओर प्रार्थी की पट्टीयां रोप कर तारबंदी की हुई है। अन्दर प्रार्थी के थ्रेसर खड़े हैं, 5 ट्रक पत्थर, 2 ट्रेक्टर ट्राली बजरी पत्थर, मुढ डाली हुई तथा रहने के लिए झोपडीनुमा कनाई हुई है। प्रार्थी के उक्त पुराने कब्जे व मिल्कियतीशुदा भूमि के एक भाग का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 रामलाल ने ग्राम पंचायत अक्कासर के सरपंच की साजिस से सन् 1989 में बनाना बताकर उस पर जबरदस्ती काबिज होना चाहता है जबकि प्रार्थी का पुराना कब्जा चला आ रहा है तथा उसमें प्रार्थी का सामान आज भी पड़ा हुआ है। प्रार्थी मौके पर कब्जा उत्तरी व दक्षिणी सीमा करीबन 85 फुट व 70 फुट है तथा पूर्वी व पश्चिमी सीमा करीबन 225 व 240 फुट है। जिस पर प्रार्थी वर्षों से काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी के कब्जेशुदा भूखण्ड का कागजी व फर्जी पट्टा ग्राम पंचायत की साजिस से बाले बाले अप्रार्थी संख्या 2 रामलाल को सन 1989 में बनाने का कतई अधिकार नहीं था और न ही है। जबकि उक्त पट्टा के संबंध में कोई मिसल पंचायत द्वारा न तो तुरिब की गई है और न ही पंचायत में उपलब्ध है और न ही कोई रेकार्ड पंचायत में उपलब्ध होना दर्शित है। पट्टा 05.05.1989 को नियम 266(घ) के अनुसार जारी करना बताया गया है जो कतई जारी नहीं किया जा सकता और न ही 266(घ) की पालना की गई है पट्टे का क्षेत्रफल 2901 लिखा हुआ है तथा रू. 291/- जमा होना लिखा गया है जबकि कोई रसीद संख्या उक्त पट्टे में लिखी हुई नहीं है। पट्टा देवप्रकाश पालीवाल बहैसियत अध्यक्ष भूमि क्रय विक्रय समिति ग्राम पंचायत अक्कासर द्वारा दिनांक 5.5.89 को पंचायत प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 30.4.89 के द्वारा हस्ताक्षरित करना बताया गया है जबकि पट्टा सरासर पंचायत एक्ट व उसके अन्तर्गत बने नियमों के विपरीत गलत व फर्जी जारी किया गया है। पंचायत पट्टा को देखने मात्र से ही नियमों के विपरीत पुस्तक संख्या 1 बुक संख्या 26 पर जारी होना बताया गया है जबकि देवप्रकाश पालीवाल को ऐसा पट्टा जारी करने का कतई अधिकार नहीं था। पंचायत नियमों की सरासर खिलाफवर्जी की गई है। पट्टा पंचायत नियम 278 के तहत जारी किया जा सकता है जो कतई जारी नहीं किया गया। ऐसा फर्जी पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 रामलाल को कोई राइट व टाइटल हासिल नहीं होता है। पट्टे का जो क्षेत्रफल दिया गया है उसका मिलान कतई मौके पर नहीं होता है और न ही उत्तर-दक्षिणी व पूर्व-पश्चिमी सीमा का कतई मिलान होता है। मौके पर प्रार्थी का ईकजाई रू से करीब 4500 वर्गगज भूमि पर पट्टीया रोपकर तारबंदी की हुई है जिस पर वोह वर्षों से काबिज चला आ रहा है। पट्टे पर जो गवाहान के हस्ताक्षर किये व करवाये गये हैं वोह सरासर फर्जी दर्शित होते हैं। पट्टा बीकानेर-झझु रोड़ परदिया गया है जिस पंचायत को जारी करने का कतई अधिकार नहीं है। पंचायत पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर के नीचे जो मोहर लगी हुई है वो अनलग है। पट्टा अन-रजिस्टर्ड व अन-स्टाम्पण्ड है। सरासर टीपी एक्ट की धारा 54 की अवहेलना की गई है। पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 255 से लगायत



॥
अति. जिला कलेक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

278 की पूर्णरूप से अनदेखी की गई है और न ही कोई मिसल मुर्तिक की गई और न ही कोई पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यदि प्रस्ताव पारित होता तो मिसल आवश्यक रूप से मुर्तिब होती। दिनांक 30.4.89 को न तो कोई प्रस्ताव या प्रस्ताव सं. 2 ग्राम पंचायत अक्कासर में लिया गया और न ही कोई पारित किया गया और न ही ऐसा कोई रेकार्ड ग्राम पंचायत अक्कासर में उपलब्ध था और न ही है।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा इतने लम्बे अर्से के बाद इस फर्जी व कागजी पट्टे का आड़ में प्रार्थी के कब्जे व मल्लिकयतीशुदा भूमि पर नाजायज कब्जा करने की गर्ज से उसने एक सिविल वाद मनमर्जी से मालियत कायम करके सिविल न्यायालय(व.ख.) बीकानेर में पेश किया जो स्थानान्तरित होकर अति.सिविल न्यायाधीश(व.ख.) सं. 3 बीकानेर में विचाराधीन है जिसमें सुनवाई करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षकारान को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान किया जो आज भी प्रभावी है। उक्त वाद में प्रार्थी द्वारा उपस्थित होने पर उक्त फर्जी व कागजी पट्टे का ज्ञान हुआ कि प्रार्थी के कब्जे व मल्लिकयतीशुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा साजिसाना व मिलभगती से बाले-बाले बिना किसी के ईल्म में लाये पट्टा(विक्रय विलेख) बनवा लिया है। जिसका ज्ञान होने पर निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत अक्कासर से उक्त पट्टा दिनांक 05.5.89 से संबंधित पंचायत मिसल व रेकार्ड की नकले लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.8.12 को प्रार्थी के पुत्र को लिखित में अवगत कराया कि उक्त पट्टे संबंधी पंचायत मिसल व उससे संबंधित किसी प्रकार का रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। निगरानी में कोई मियाद निर्धारित नहीं है। पट्टा सरासर गलत,बिला अधिकार, फर्जी एवं कागजी होने से तथा साजिसाना तरीके से पंचायत प्रावधानों/नियमों की अनदेखी व अवहेलना करते हुए हासिल किया है इस कारण भी मियाद का बिन्दू गौण है, मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता है इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय स्पष्ट है। ऐसे अवैध व बनावटी पट्टा से पट्टाधारी को कोई राईट व टाईटल हासिल नहीं होता है तथा ऐसी समस्त कार्यवाही एबिनिश्यों नल एण्ड वॉयड होने से निरस्त योग्य है। उन्होंने सम्पूर्ण बहस के समर्थन में आईएलआर 1986 पेज 184, डीजेएन 1996 (राज)413, आर. एल.डबल्यू. 1996 (3) राज.139, आर.एल.डबल्यू. 1996 (3) राज.97, शिवसिंह बनाम स्टेट ऑफ राज.एसबी सिविल रिट पिटीशन 1716/08, ऑडर एचसी गंगाविशन बनाम ग्राम पंचायत रासीसर, डीजेएन 1996 (राज) 144, आर.एल.आर. 1987 (1) पेज 387, 1995 डीएनजे आरजे 88, आरआरटी 2002 (1)राज पेज 63, डीजेएन 2003(3) आरजे 1179 व आरएलडबल्यू 2003 (3) राज.पेज 1423 के उद्धरण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी पट्टा(विक्रय विलेख) तादादी 2901 वर्गफुट निरस्त फरमाया जावे तथा तत्संबंधी समस्त पंचायत कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।



॥
 आति. जिला कलेक्टर
 (प्रशासन), बीकानेर

4. गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 रामलाल पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी अक्कासर के नाम जारी विक्रय विलेख के संबंध में पंचायत कार्यालय में कोई पट्टा, पट्टा मिसल व किसी भी प्रकार का पट्टा संबंधी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अतः निर्णय विधि अनुसार किया जावे।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत अक्कासर के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी आबादी भूमि के विक्रय विलेख की फोटो प्रति पेश हुई है। जिसके साथ ग्राम पंचायत अक्कासर द्वारा पत्र क्रमांक 12166 दिनांक 27.08.2012 की फोटो प्रति पेश की। जिसके अनुसार विक्रय विलेख संबंधी रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित हुवे। परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित नहीं हुवे। इस आधार पर दिनांक 05.02.2014 को इकतरफा कार्यवाही के आदेश किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने का लिखित कथन पेश किया। निगरानीकर्ता के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 का होना तथा अध्यक्ष, क्रय विक्रय समिति, ग्राम पंचायत जैसा कोई पद नहीं होने के आधार पर जारी किये गये पट्टे को निरस्त करवाने का निवेदन किया है, जो कि पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से प्रमाणित होता है। इन परिस्थितियों में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जारी पट्टे की विधिवत् जांच व परीक्षण करवाया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण विकास अधिकारी पंचायत समिति कोलायत को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते हैं कि वे उक्त पट्टे की विधिवत् जांच/ परीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत अक्कासर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 रामलाल पुत्र सरदाराराम के पक्ष में जारी पट्टा (विक्रय विलेख) दिनांक 05.05.1989 तादादी 2901 वर्गफुट जारी किये गये पट्टे सही हैं अथवा नहीं। पट्टे विधिवत् जारी नहीं होने की स्थिति में निगरानी प्रस्तुत की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोलायत को पालनार्थ प्रेषित की जावे।



(ए.एच.गौरी)
अतिरिक्त कलेक्टर(प) बीकानेर
प्रति. जिला कलेक्टर
(प्रशासन), बीकानेर